1.

न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड म०प्र०

प्रकरण क्रमांक 188/2011 सत्रवाद मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र मालनपुर जिला भिण्ड म०प्र०।

> ————अभियोजन बनाम

अर्जुनसिंह पुत्र मानसिंह वघेले उम्र ४८ वर्ष।

- 2. जितेन्द्र सिंह पुत्र रमेशबाबू किरार उम्र 38 वर्ष।
- 3. रघुवर पुत्र मानसिंह वघेल उम्र 65 वर्ष । निवासीगण ग्राम किशोरगढ थाना चिनौर जिला

ग्वालियर म.प्र.।

- 4. लाखनसिंह पुत्र मानसिंह वघेल।फरार
- बीरवल पुत्र रघुवर वघेल।फरार
- 6. भारत जांटव पुत्र रामजीलाल जाटव। ...**फरार**

.....अभियुक्तगण

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद श्री मनीष शर्मा के न्यायालय के मूल आपराधिक प्र०क०. 823/2007 इ०फौ० से उदभूत यह सत्र प्रकरण क० 188/2011 शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर। अभियुक्तगण द्वारा श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता

//नि र्ण य// //आज दिनांक 30—03—2015 को घोषित किया गया//

01. आरोपीगण का विचारण धारा 307 विकल्प में धारा 307/34 भा0दं0वि0 के अपराध के आरोप के संबंध में किया जा रहा है। उन पर आरोप है कि दिनांक 09.09.2005 को 07 बजे केंडवरी फैक्ट्री के पास फरियादी कुवेर जाटव को इस आशय या ज्ञान या ऐसी परिस्थितियों में कट्टे से फायर किया कि यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो आप हत्या के दोषी हो जाते और इस दौरान उसे उपहित कारित की। वैकल्पिक रूप से उन पर यह भी आरोप है

कि उक्त दिनांक समय स्थान पर सहआरोपीगण के साथ मिलकर फरियादी को जान से मारने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में कार्य करते हुए इस ज्ञान से अथवा ऐसी परिस्थिति में कि यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो आप हत्या के दोषी हो जाते और इस दौरान उसे उपहित कारित की।

- अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 09.09.2005 को 02. फरियादी कुबेर जाटव ने इस आशय की रिपोर्ट की कि करीब ढेड साल पहले लाखनसिंह, रघुवर व बीरबल ने थाना बैराड जिला शिवपुरी में एक आदमी को गोली मारी थी जिसमें उसकी गवाही लिखी है। उक्त वयान को पलटने के लिए उक्त लोग कई बार फरियादी को धमकी दे चुके है। घटना दिनांक को वह मालनपुर स्थित फैक्ट्री में मजदूरी करने के लिए आया और करीब सात बजे वह कैडवरी फैक्ट्री की रोड पर काम तलाशने जा रहा था इतने में लाखनसिंह, अर्जुनसिंह व रघुवर गडरिया निवासी किशोरगढ एक मोटरसाइकिल पर आए और उसे गालियाँ देने लगे और यह कहते हुए कि मादरचोद तूने मेरे केस में गवाही दी है उसकी लातघूसों से मारपीट करने लगे। उसी समय जितेन्द्रसिंह किरार, भारत जाटव व बीरवल गडरिया आ गए और सभी लोग उसकी मारपीट करने लगे। लाखनसिंह ने अपनी कमर से कट्टा निकाल कर जान से मारने की नियत से उसे गोली मारी जो उसके वांए हाथ की कोहनी के उपर लगी और गोली आर पार हो गई। उसी समय मौके पर गजराजसिंह जाटव, दिनेश किरार आ गए तो उक्त लोग भाग गए। जिस पर से आरोपीगण के विरूद्ध अप.क. 111/05 धारा 307/34 भा0दं0वि0 प्र.पी. 6 लेखबद्ध की गई। प्रकरण की विवेचना की गई। विवेचना के दौरान आहत का मेडीकल परीक्षण कराया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध गिए गए एवं आरोपीगण अर्जुनसिंह, जितेन्द्र सिंह एवं रघुवर को गिरफ्तार किया गया। शेष आरोपीगण को फरार को घोषित करते हुए अभियोगपत्र उपस्थिति आरोपीगण के विरूद्ध न्यायालय में पेश किया गया जो कि कमिट उपरांत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार विचारण हेत् इस न्यायालय को प्राप्त ह्आ।
- 03. विचारित किए जा रहे आरोपीगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया धारा 307 विकल्प में धारा 307/34 भा0द0सं0 का अरोप पाया जाने से आरोप लगाकर पढकर सुनाया समझाया गया। आरोपीगण ने जुर्म अस्वीकार किया उनकी प्ली लेखबद्ध की गई।
- 04. दंड प्रकृिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त परीक्षण में आरोपीगण ने स्वयं को निर्दोश होना बताते हुए झूठा फंसाया जाना

अभिकथित किया है। बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है।

- 05. आरोपीगण के विरूद्ध आरोपित अपराध के संबंध में विचारणीय यह है कि:--
 - 1. क्या दिनांक 09.09.2005 को सात कैडवरी फैक्ट्री के पास मालनपुर में फरियादी कुवेर जाटव को इस आशय या ज्ञान से तथा ऐसी परिस्थितियों में कि यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो आरोपी हत्या के दोषी हो जाते उसकी हत्या का प्रयत्न किया?
 - 2. क्या आरोपीगण के द्वारा उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर आहता कुवेर जाटव की मारपीट कर उपहति कारित की?

विकल्प में

3. क्या उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर आरोपीगण के द्वारा आहता कुवेट जाटव को जान से मारने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में कार्य करते हुए इस आशय या ज्ञान से तथा ऐसी परिस्थितियों में कि यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो आरोपी हत्या के दोषी होते?

-: सकारण निष्कर्ष:-

बिन्दु क्रमांक 1 लगायत 3:-

06. परस्पर जुडे होने एवं साक्ष्य विवेचना की पुनरावृत्ति से बचने के लिये उपरोक्त तीनों विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है ।

07. डॉ० आलोक शर्मा अ.सा. 3 के अनुसार दिनांक 09.09.2005 सी.एच.सी. गोहद में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को थाना मालनपुर के आरक्षक के द्वारा लाए जाने पर आहत कुवेर का चिकित्सीय परीक्षण किया था जिसके शरीर पर वाई भुजा में 3 x 2 x 0.3 से.मी.का फटा हुआ घॉव था जिसके किनारे आगे की तरफ अंदर की ओर मुडे हुए थे, घॉव में आगे की तरफ कालापन मौजूद था और घॉव के किनारे आडे तिरछे थे तथा घॉव से खून नहीं बह रहा था। घॉव में मौजूद मॉस झुलसा हुआ था। चोट के लिए एक्सरे की सलाह दी थी। अपने अभिमत में उनके द्वारा बताया गया है कि आहत को उक्त चोट अग्नेय शस्त्र से आना प्रतीत होती थी जो कि परीक्षण के 12 घण्टे के भीतर की थी। उनके द्वारा तैयार मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी. 3 है जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर है। आहत के एक्सरे परीक्षण में कोई अस्थिभंग होना नहीं पाया गया था। साक्षी के द्वारा यह भी

बताया गया है कि थाना प्रभारी मालनपुर के द्वारा दिनांक 26.04.2007 को क्वेरी कराई गई थी। क्वेरी रिपोर्ट के मुताबिक आहत को आई हुई चोट अग्नेय शस्त्र के द्वारा कारित होनी पाई गई थी। क्वेरी रिपोर्ट प्र.पी. 5 है जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि स्पष्ट तौर से नहीं कहा जा सकता कि आहत को आई हुई चोट किस प्रकार के अग्नेय शस्त्र से पहुँचाई गई थी। चोट स्वयं भी कारित की जा सकती है।

- 08. इस प्रकार चिकित्सक डॉक्टर आलोक शर्मा के कथन से स्पष्ट है कि घटना के पश्चात् आहत कुवेरसिंह के शरीर पर अग्नेय शस्त्र की उपरोक्त बताई गई चोट मौजूद थी। अब विचारणीय यह हो जाता है कि क्या वर्तमान में विचारित किए जा रहे आरोपी उपरोक्त धाटना जिसमें कि कुवेरसिंह की हत्या का प्रयत्न किया गया और उसे उपहित पहुँचाई गई उसमें आरोपीगण संलग्न थे?
- 09. अभियोजन की ओर से घटना के संबंध में बताए गये चक्षुदर्शी साक्षी जो कि हारना स्थल पर घटना के समय आ जाना बताये जा रहे गजराज अ0सा0 1 एवं दिनेशिसंह अ0सा0 2 के कथन कराए है, किन्तु उपरोक्त दोनों ही अभियोजन साक्षियों के द्वारा अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया गया है। उक्त दोनों साक्षीगण को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए है, किन्तु इस दौरान भी उनके कथनों में अभियोजन प्रकरण का कोई भी समर्थन नहीं हुआ है।
- 10. यह उल्लेखनीय है कि फरियादी/रिपोटकर्ता कुवेर जाटव की प्रकरण के विचारण के दौरान मृत्यु हो गई है उसके कथन अभियोजन के द्वारा नहीं कराए जा सके है। प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक पी.एस.तोमर अ0सा0 4 ने अपने साक्ष्य कथन में बताया है कि दिनांक 09.09.05 को थाना मालनपुर में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ दौरान फरियादी कुवेर जाटव की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण लाखन, अर्जुन, रघुवर, बलवीर, भारत और जितेन्द्र के विरूद्ध मारपीट एवं गोली मारने की रिपोर्ट के आधार पर अपराध क्रमांक 111/05 धारा 307/34 भा0दं0वि0 का पंजीबद्ध किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 6 है जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर है, साक्षी के अनुसार रिपोर्ट फरियादी के बताए अनुसार लेखबद्ध की गई थी अपनी ओर से कुछ घटाया बढाया नहीं था। इसके अतिरिक्त उक्त दिनांक को ही फरियादी की निशादेही पर घटना स्थल का नक्शा मौका प्र.पी. 7 तैयार किया था जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उपरोक्त दिनांक को ही फरियादी केवर जाटव तथा साक्षी गजराजिसेंह एवं दिनेश के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किये

थे। आरोपी अर्जुन और जितेन्द्र की गिरफ्तारी की गई थी जिनका गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी. 8 व 9 है जिन पर उनके हस्ताक्षर है।

- 11. राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अपने तर्क में यह व्यक्त किया कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट जो कि घटना के तुरन्त पश्चात् आहत/फरियादी कुवेर के द्वारा दर्ज कराई गई है उसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से वर्तमान में विचारित किए जा रहे आरोपीगण के घटना स्थल पर मौजूद होने एवं उनके द्वारा घटना में भाग लेने के संबंध में उल्लेख आया है। इसके अतिरिक्त आहत/फरियादी का धारा 161 दं.प्र.सं. के कथनों में भी आरोपीगण के घटना में संलग्न होने का तथ्य आया है। आहत कुवेर की मृत्यु हो चुकी है। ऐसी दशा में उनके द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 6 और उनके पुलिस को दिए गए धारा 161 के कथन सारवान साक्ष्य के रूप में होगा और उनके मृत्युकालीन कथन के रूप में उसे साक्ष्य में ग्राह्य किया जा सकता है।
- 12. यद्यपि यह सत्य है कि प्रकरण के विचारण के दौरान घटना के फरियादी कुवेर जाटव की मृत्यु हो चुकी है। कुवेर जाटव का कोई भी साक्ष्य कथन नहीं हो सकता है। सर्वप्रथम घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट का जहाँ तक प्रश्न है। यह सुस्थापित सिद्धांत है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट कोई सारवान साक्ष्य नहीं होती है, बल्कि उसका उपयोग पुष्टिकारक साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 6 में यद्यपि वर्तमान में विचारित किए जा रहे आरोपी अर्जुनसिंह, रघुवरसिंह और जितेन्द्रसिंह के घटना स्थल पर आने के संबंध में तथ्य का उल्लेख है, किन्तु मात्र इस आधार पर कि उनके घटनास्थल पर मौजूद होने के बारे में प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लेख आया है। उक्त आरोपीगण से न तो किसी प्रकार की कोई जप्ती की कार्यवाही हुई है और न ही ऐसा कोई अन्य साक्ष्य आया है जिससे कि उनके घटना में संलग्न होने की सम्पुष्टि होती हो। ऐसी दशा में प्रथम सूचना रिपोर्ट में नाम का उल्लेख मात्र होने के आधार पर इस संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।
- 13. जहाँ तक फरियादी कुवेर के द्वारा 161 दं.प्र.सं. के कथनों का प्रश्न है, इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि धारा 161 दं.प्र.सं. के कथना मात्र के आधार पर जबिक घटना में वर्तमान में विचारित किए जा रहे आरोपीगण के संलग्न होने की सम्पुष्टि घटना के बताए गए चक्षुदर्शी साक्षियों के आधार पर भी नहीं होती तथा इस संबंध में किसी अन्य साक्ष्य के आधार पर भी इस तथ्य की पुष्टि नहीं होती है। इस परिप्रेक्ष्य में फरियादी कुवेरसिंह के धारा 161 दं.प्र.सं. के कथनों को मृत्युकालीन कथन मानते हुए वर्तमान में विचारित किये जा रहे

आरोपीगण के विरूद्ध लगाए गए आरोप की प्रमाणिकता सिद्ध होनी नहीं मानी जा सकती।

14. उपरोक्त विवेचना एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में आई हुई अभियोजन साक्ष्य के आधार पर वर्तमान में विचारित किए जा रहे आरोपी अर्जुनसिंह, रघुवरसिंह एवं जितेन्द्र सिंह के संबंध में अभियोजन प्रकरण की प्रमाणिकता सिद्ध होनी नहीं पाई जाती है। आरोपीगण के द्वारा ही घटना कारित की गई हो, इस संबंध में अभियोजन प्रकरण की प्रमाणिकता सिद्ध होनी नहीं पाई जाती है। आरोपी अर्जुन, रघुवर एवं जितेन्द्र को धारा 307 विकल्प में धारा 307 / 34 भा0दं0वि0 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। प्रकरण में अन्य सहआरोपीगण फरार है। प्रकरण अभिलेखागार सुरक्षित रखे जाने की टीप सहित भेजा जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी०सी०थपलियाल) अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड (डी०सी०थपलियाल) अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड